कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 568 /11–सी– FP/UP/Others/26736/2017, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 04 ,2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद–अलीगढ़ में अलीगढ़–मथुरा रोड़ (एन0एच0–80) किमी0 05 दांयी पटरी खसरा सं0–30 ग्राम–दौलताबाद, तहसील–कोल जनपद–अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कारर्पोरेशन लिमिटेड के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित 0.07595 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव संख्या– **FP/UP/Others/26736/2017**

सन्दर्भः उ0प्र0 शासन की पत्र सं0–2130/81–2–2023–800(144)/2019, दिनांक–04.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक–790/14–1, दिनांक 29.08.2023 द्वारा पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किये गये हैं।

अतः वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 568 /11–सी– FP/UP/Others/26736/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़।
3– प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कारर्पोरेशन लि0, मुरादाबाद मण्डल कार्यालय कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली, रोड एन0एच0 24, पोस्ट पकवाड़ा, जिला–मुरादाबाद।

(अनुपम गुप्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(अनूपशहर रोड कासिमपुर मोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन–202122, दूरभाष–0571–2960088)

पत्रांक 790 /14–1 अलीगढ, दिनाँक, अगस्त: 29 ,2023

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम–1980,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:– **कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़–मथुरा रोड (एन0एच0–80) किमी0 05 दायीं पटरी खसरा सं0–30 ग्राम–दौलतादाबाद, तहसील–कोल, जनपद–अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.07595 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना पातन के गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति के सम्बन्ध में। (ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/26736/2017)**

सन्दर्भः– उप सचिव उ0प्र0 उ0प्र0 शासन की शासकीय पत्र संख्या–2130 / 81–2–2023–800(144) / 2019 दिनांक 04.08.2023 व आपका पत्रांक–332 / 11–सी–FP/UP/Others/26736/2017 दिनांक 07.08.2023 तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ का पत्रॉक–707 / 14–10 दिनांक 21.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उ0प्र0 उ0प्र0 शासन के संदर्भित शासकीय पत्र पत्र से लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ के पत्रॉक–707 / 14–10 दिनांक 21.08.2023 से आख्या / सूचना संलग्न कर संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है, जो कि निम्नवत संस्तुति सहित ऑनलाइन संलग्न कर प्रेषित है–

क्र0सं0	आपत्ति	उत्तर
1	उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–4098 / 11–सी–एफ.सी. / यू. पी. / अदर्स / 26736 / 2017 दिनांक 30.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के उल्लंघन के लिये तत्कालीन अपर जिलाधिकारी दोषी नहीं पाये गये हैं क्योंकि उनके द्वारा केवल रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु एन0ओ0सी0 दी गयी थी। इससे विदित होता है कि प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में रिटले आउटलेट जिसके पक्ष में स्वीकृत किया गया है, उसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। कृपया विषयगत प्रस्ताव में हुए उल्लंघन हेतु दोषी एजेन्सी / व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर कृत कार्यवाही की सुस्पष्ट आख्या अपनी संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।	इस सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रकरण में भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना रिटेल आउटलेट की स्थापना कराये जाने के फलस्वरूप दोषी एजेन्सी / व्यक्ति के विरूद्ध रेंज केस संख्या–23 / अलीगढ़ / 17–18 दिनांक 07.09.2017 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–32 / 33 के तहत् एच–2 केस निर्गत किया गया। विषयक निर्गत एच–2 केस को मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ को प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अर्थ दण्ड के साथ दण्डित करते हुए केस को निस्तारित किया गया है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के बिन्दु सं0–बी(3) में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निम्न प्रकार कार्यवाही प्रस्तावित / पूर्ण गयी हैः– 1. प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध कराई गई वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में 04 बिन्दुओं की बिन्दुवार आख्या का उल्लंघन प्रस्ताव की छाया प्रति संलग्न। 2. प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध कराई गई भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 32 / 33 के तहत् जारी वन अपराध केस की प्रति संलग्न है। 3. प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध कराई गई निर्गत प्रकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी के विरूद्ध निर्गत वन अपराध को मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निस्तारण एवं निर्धारित दण्ड जमा किये जाने का साक्ष्य की प्रति संलग्न है। 4. प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध कराई गई भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी से वसूल किये जाने वाली दण्डात्मक एन.पी.वी. की गणना शीट की प्रति संलग्न है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राकेश चन्द्रा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14–1 दिनांकित।

1. **प्रतिलिपि**–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में प्रेषित।
2. **प्रतिलिपि**–प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0 (एम0डी0), मुरादाबाद मंडल कार्यालय, कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड, एन0एच0–24, पोस्ट पकवाड़ा, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेश चन्द्रा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।